

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.**

F No. 1(636)/GA/Estt./DC/2011 / 2261

Dated:- 25.10.2012


NOTIFICATION

Consequent upon joining in Revenue Department for 2 months district training programme **Shri Navlendra Kumar Singh, Shri Pranjal J. Hazarika and Shri Vivek Aggarwal, DANICS Probationers** shall perform various functions as **Sub-Divisional Magistrate in District South-East, South and North** respectively w.e.f. 19.10.2012 to 02.11.2012. Now, therefore,

1. **F No. 1(636)/GA/Estt./DC** In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon **(1) Shri Navlendra Kumar Singh, DANICS (Probationer) (2) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer) and (3) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer)**, the power of Assistant Collector, Ist Class under the said Act within respective districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
2. **F No. 1(636)/GA/Estt./DC** - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **(1) Shri Navlendra Kumar Singh, DANICS (Probationer) (2) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer) and (3) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer)** as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within respective districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
3. **F No. 1(636)/GA/Estt./DC** - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **(1) Shri Navlendra Kumar Singh, DANICS (Probationer) (2) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer) and (3) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer)** as Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within respective districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
4. **F No. 1(636)/GA/Estt./DC** - In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **(1) Shri Navlendra Kumar Singh, DANICS (Probationer) (2) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer) and (3) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer)** as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within respective districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
5. **F No. 1(636)/GA/Estt./DC** - In exercise of powers conferred by clause 19-A of section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers **(1) Shri Navlendra Kumar Singh, DANICS (Probationer) (2) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer) and (3) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer)** as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within respective districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
6. **F No. 1(636)/GA/Estt./DC** - In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints **(1) Shri Navlendra Kumar Singh, DANICS (Probationer) (2) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer) and (3) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer)** as Settlement Officer (Consolidation) for within respective districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

7. = **No. 1(636)/GA/Estt./DC** -In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize **(1) Shri Navlendra Kumar Singh, DANICS (Probationer) (2) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer) and (3) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer)** to perform the function of the Competent Authority under the said Act within respective districts to which the provisions of the said Act are applicable w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.**



(Kuldeep Singh Gangar)
**Spl. Secretary (Revenue)/
Deputy Commissioner (HQ)**

F No. 1(636)/GA/Estt./DC/2011 / 226/

Dated:- 25.10.20

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette
2. The Deputy Commissioner, District South – East, South, North Delhi/New Delhi.
3. Officer concerned through Deputy Commissioner, District South-East, South and North Delhi/New Delhi.
4. The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.
5. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
6. Guard file.

Bansal
26/10



**(ASHOK KUMAR SHARMA)
Sub Divisional Magistrate-IV (HQ)**

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार

(राजस्व विभाग)

5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011/2261

दिनांक : 25.10.2012


अधिसूचना

श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 02 माह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य भार ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला दक्षिण-पूर्व, जिला दक्षिण तथा जिला उत्तर में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी का कार्यभार 19/10/2012 से 02/11/2012 तक संभालेंगे। अतः-

- (1) सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011/- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- (2) सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- (3) सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011 दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियों अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- (4) सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- (5) सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011 दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।
- (6) सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011 पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व

(7) सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011 दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं० 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका और श्री विवेक अग्रवाल भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर




(कुलदीप सिंह गंगर)

अति. सचिव (राजस्व)/
उपायुक्त (मुख्यालय)

सं०. एफ.(636)/जी.ए./स्थापना/उ०आ०/2011/ 2261
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

दिनांक : 25.10.2012

1. उप-सचिव (सा० प्रा० वि०) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. उपायुक्त, जिला- दक्षिण-पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर दिल्ली, दिल्ली ।
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला - दक्षिण-पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर दिल्ली के माध्यम से ।
- ✓ 4. प्रणाली विष्लेशक (उपायुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
5. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, ।
6. गार्ड फाइल ।



(अशोक कुमार शर्मा)
उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु०-IV)